NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Lok Nayak Bhawan New Delhi

CP/NCST/Tour Report – 08-15 11/8/2015

Subject : Tour report for visit to Jharkhand from 30/7/2015 to 2/8/2015

Tour report for visit of the undersigned to the State of Jharkhand is as under.

1) **30/7/2015 and 31/7/2015 - NCST Regional Office , Ranchi.**

Interaction with STs and Petitioners .

2) **01/08/2015 – Gumla**

Large Number of Tribals met the undersigned at Circuit House Gumla . Their problems were resolved/ addressed by discussions with concerned District Officials. Petitions of following two persons submitted to me at Gumla require action .Accordingly NCST H. Q New Delhi to take up the matter with the concerned authorities.

i) **Petition dated 1/5/2015 of Shri Chaitu Oraon**

Request has been made Shri Chai tu Oroan for quashing the false allegations in case No. 58/12 dated 13/9/2012 lodged in the Police Station Basia. Discussion on the above was held with Suptd. of Police, Gumla. **NCST, HQ to call for report on the petition from the Suptd. of Police, Gumla.**

ii) **Petition dated Nil Shri Livin Lakra Gumla**

Petitioner Shri Lakra has submitted that since 2006 he was employed as daily'wager in the Cooperative bank Dhumri Branch, Gumla. Shri Lakra in his petition has also stated that Original educational certificate were submitted by him to the Bank Branch Manager for regular employment of service but the same have not been returned to him despite repeated requests. He worked in the Bank till May 2015 but has been removed now. **NCST H Q New Delhi may take up the matter with concerned authorities.**

iii) Deputy Commissioner Gumla met the undersigned and apprised about the ongoing developmental programme in the District.

3) **<u>02/08/2015 – Lohardaga</u>**

i) Deputy Commissioner Lohardaga came for discussion. He apprised me of the various development programmes and also the progress under the Forest Rights Act. Matter of timely settlement of claims of the tribals under the Forest Rights Act was emphasised by the undersigned since some of the claimant met me and informed that their claims were pending .

ii) Some petitioners met me and complained that process of the recruitment of tribal teachers is slow in the District . On this , District Supdt. Education had come and explained that matter has been referred to the Deputy Commissioner for clearance of roaster. She assured that once it is cleared by the Deputy Commissioner, then the process of recruitment would be initiated promptly.

(Dr. Rameshwar Oraon)
Chairperson

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

मैं श्री - लिबिन लकड़ा पिता - स्व० दामानन्द लकड़ा ग्राम -
तिगावल पो+ओ० चैनपुर थाना - चैनपुर जिला - गुमला झारखंड
का स्थायी निवासी हूँ। मैं कॉऑपरेटिव बैंक डुमरी शाखा में
2006 से ही टेम्पुररी का काम कर रहा था प्रतिदिन 10/- हिसाब
से मिलता था किसी दिन मेरा नौकरी मिल सके। बैंक
प्रबंधक के लिए मेरा मैट्रिक एवं इन्टर का सर्टिफिकेट
उरजीनल दे दिये थे रेगुलर करना देंगे बोल के लिया
गया अभी तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला। प्रबंधक - नित्यानन्द
मिश्रा का 2009 में उसका देहान्त हो गया चार बार घर
जाकर मेरा सर्टिफिकेट माँगने पर घर वाले नहीं दिया। बैंक
में काम सिखते गये और बैंक का सारा काम कर रहे थे
मैं 2007 से ही बैंक में हाजिरी बनाते हुए मई 2015 तक,
इससे पहले M.D के लिए एक आवेदन भी दिये थे उसमें
सरकारी मजदूरी दिया जाए फिर भी कोई मेरी बात अभी
तक नहीं रखी। एक माह पहले मुझको बैंक से निकाल दिए।
तो गुमला हेड ऑफिस M.D जय प्रकाश शर्मा से मुलाकात की
उन्होंने बैंक चढ़ने से मना की नहीं तो आप के ऊपर एफआर करेंगे
बोल रहा था। क्या गलती किये है उसको भी नहीं बताते है।
बैंक चढ़ने से मना किया गया। घर जाकर मजदूरी का काम
को कहा गया M.D पता करते रहता है कि बैंक चढ़ता है या नहीं
चढ़ने मत देना।

P.S
Rameshwar oraon
10/5/15

आपका विश्वासी
लिबिन लकड़ा
गुमला - M.D. जय प्रकाश शर्मा
P.No 9431165349

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय,
गुमला (झारखण्ड)

Urgent. P.S.
Hon'ble Chairperson desired this file to be created in NCST HQ.
Rameshwar Oraon 10/8

विषय :— बसिया थाना काण्ड सं0—58/12 दिनांक 13.09.2012 के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन पुर्वक कहना है कि :—

1. कामडारा थाना काण्ड संख्या— 36/10 दिनांक 13.10.2010, कामडारा थाना काण्ड संख्या— 18/11 दिनांक 15.04.2011 एवं बसिया थाना काण्ड संख्या— 50/11 दिनांक 06.06.2011, तीनों काण्ड में अभियुक्त विक्रम खड़िया उर्फ विकान्त खड़िया उर्फ राजा खड़िया पिता भोदो खड़िया, ग्राम—बनई पाकरटोली, थाना—बसिया, जिला—गुमला के नाम मामला दर्ज था।
2. उपरोक्त तीनों काण्डों में संलिप्त नामजद् अभियुक्त विक्रम खड़िया उर्फ विकान्त खड़िया उर्फ राजा खड़िया की हत्या वर्ष 2012 में हो चुकी है।
3. इस अभियुक्त की मृत्यू की जाँच वरीय अनुमण्डीय पुलिस पदाधिकारी, गुमला श्री अतुल केरकेट्टा के अनुसंधान में सही पाया गया और इसकी सुचना अनुसंधान के अन्तिम प्रपत्र में S.D.J.M, Gumla के न्यायालय को समर्पित किया जा चुका है।
4. S.D.J.M, Gumla के न्यायालय द्वारा उपरोक्त तीनों काण्ड में नामजद् अभियुक्त की मृत्यू को सत्य पाते हुए उपरोक्त तीनों काण्ड में संलिप्त व्यक्ति की जगह पर गिरफ्तार किए गये निर्दोष विश्राम पहान पिता भोन्दो पहान ग्राम— बनई चोरेटोली, थाना—बसिया, जिला—गुमला को जेल से तुरन्त मुक्त करने हेतू आदेश निर्गत किया, जिसके आधार पर विश्राम पहान जेल से मुक्त किया जा चुका है।

उपरोक्त मामले में महोदय को विस्तार से कुछ बातें कहनी है जो निम्न है :—

1. महोदय को ज्ञात हो कि पुलिस के गलत अनुसंधान की वजह से निर्दोष व्यक्ति विश्राम पहान पिता भोन्दो पहान जो 1990 से 2012 तक पंजाब में रहकर मजदूरी का काम करता था वर्ष 2012 के अगस्त माह में अपना घर आया। इसको दिनांक 12.09.2012 को अभियुक्त विकान्त खड़िया उर्फ विक्रम खड़िया उर्फ राजा खड़िया ग्राम—बनई पाकरटोली, थाना—बसिया, जिला—गुमला की जगह पर गिरफ्तार कर किया गया।
2. उपरोक्त गिरफ्तारी के मामले में ग्रामवासियों द्वारा सही जाँच पड़ताल कर मामले पर कार्रवाई हेतू मांग पत्र थाना में दिया गया।

3. क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीणों द्वारा मामले की जानकारी मुझे भी दी गई। जिसपर मैंने भरनो प्रखण्ड कॉंग्रेस कमिटि के कार्यकर्त्ता सम्मेलन में जानें के क्रम में बसिया थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी को ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर सहानुभुतिपुर्वक जाँच कर कार्रवाई करने का आग्रह किया। जो एक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से किया गया अनुरोध था।

4. निर्दोष व्यक्ति को बगैर जाँच पडताल किये ही जेल भेज दिया गया एवं इस मामले को दबाने के लिए पुलिस पदाधिकारी द्वारा गनगढ़त, फर्जी एवं गलत आरोप लगाते हुए काण्ड संख्या 58/12 दिनांक 13.09.2012 दर्ज किया गया। जिसमें मेरे साथ–साथ अन्य ग्रामीण, पंचायत समिति सदस्य श्रीमति सुशिला होरो, झा0 मु0 मोर्चा प्र0 अध्यक्ष निकोलस मुण्डा, देवा साहु–लोंगा, पंकज सिंह– बसिया, अरूण साहु, गणेश साहु, अशोक साहु, भौवा गोप, रंथू साहु सभी बनई चोरेटोली के अलावा 30–35 अज्ञात महिला पुरूषो पर मामला दर्ज किया गया।

5. इस संदर्भ में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। मामले को तथ्यों की भुल मानते हुए काण्ड को निरस्त करते हुए किसी तरह की कार्रवाई नही करने की बात कही गयी एवं अबतक कार्रवाई न करते हुए मामले को लम्बित रखा गया।

6. ज्ञातव्य हो कि इस सारे मामले के मुल तीनों काण्ड में गिरफ्तार व्यक्ति निर्दोष साबित होकर रिहा हो चुका है जो ग्रामीणों द्वारा रखी गयी माँग पत्र को सत्य साबित करने के लिए प्रयाप्त है।

अतः महोदय से विनम्र आग्रह है कि काण्ड संख्या 58/12 दिनांक 13.09.12 को अपने स्तर से समाप्त किया जाय एवं हम सभी ग्रामीण भाई–बहनों को न्याय देने की कृपा की जाय।

इस सहानुभुति पुर्ण एवं नेक कार्य हेतू श्रीमान् का हम सभी अभारी रहेगें।

आपका विश्वासी

07/5/2014

(चैतु उराँव)

सदस्य, जिला परिषद, बसिया क्षेत्र।

सुशीला होरो

पं॰ समिति सदस्य

निकोलस मुण्डा-प्रखण्ड अध्यक्ष

संलग्न :–

1. निर्दोष विश्राम पहान का रिहाई आर्डर की कॉपी की छायाप्रति।
2. ग्रामीणों द्वारा दिनांक 13.09.2012 को दिया गया मांग पत्र की छायाप्रति।
3. काण्ड सं0 58/12 की छायाप्रति।

देवा साहु लोगा
1/5/2014
पंकज कुमार बसिया
1/5/2014

अशोक साहु चोरेटोली
1/5/2014
अरुणा साहु चोरटोली
1-5-2014
मीना गोप चोरे टोली
1-5-2014
गणेश साहु चोरे टोली
1-5-2014
रन्थु साहु चोरे टोली
1-5-2014

विधायक ... 50/11

(3)

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक
गुमला (झारखंड)

विषय: विश्राम पहान पिता- ओन्धो पहान, ग्राम बनई-चोरेयोली थाना- कामडारा के विरुद्ध गलत केस दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय, उपरोक्त सन्दर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि विश्राम पहान, पिता- ओन्धो पहान ग्राम बनई-चोरेयोली, थाना -कामडारा जिला गुमला के निवासी हैं। वर्तमान में 1990 - 2008 - से 2008 से 2012 तक पंजाब में कई साल पूर्व चला गया है। मजदूरी करता है। उक्त व्यक्ति को कामडारा थाना कांड सं० - 18/11 दिनांक- 15/4/2011 [illegible] पिता ओन्धो खड़िया बनई [illegible] विक्रम खड़िया [illegible] पाकरटोली (2) कामडारा थाना कांड सं० - 36/10 दिनांक 13-10-10 [illegible] पि० ओन्धो खड़िया, अभियुक्त विक्रम खड़िया, [illegible] 6-6-2011 [illegible] बनई चोरेयोली (3) 58/2 [illegible] केस दर्ज है। बनई पाकरटोली के नाम से नामजद आरोपी राजा खड़िया है जो उपरोक्त केस में नामजद आरोपी ... उपरोक्त केस में विश्राम ... हो चुका है। किन्तु इस केस में विश्राम पहान पिता ओन्धो पहान को नामजद [illegible] गलत है। इनका किसी तरह का अपराधिक इतिहास नहीं है। गलत तरीके से इनका किसी तरह का अपराधिक [illegible] किया गया है। इनको किसी तरह से व्यक्ति को नामजद [illegible] गलत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इनकी सही अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए केस से बरी किया जाय।

विश्वासी भवदीय

Shino
13-9-2012
पंचायत समिति सदस्य
बनई

1) सुरेश्वरी देवी

2) शकुन्तला देवी

प्रतिलिपि -

1. पुलिस उपाधीक्षक - गुमला
2. पुलिस निरीक्षक - कामडारा अंचल
3. थाना प्रभारी - बसिया
4. थाना प्रभारी - कामडारा

[illegible signature]
17/9/12

(4)

(3) सुनिता देवी
(4) जमीता देवी
(5) बिमला देवी
(6) तिलेश्वरी देवी
(7) ख्रिस्तीना बारला
(8) अमृत देवी
(9) टे० नि० [illegible] देवी
(10) टे० नि० [illegible]बिरसी देवी
(11) टे० नि० [illegible]फुसो देवी
(12) टे०नि० मन्जु देवी
(13) टे०नि० [illegible]मिला कुमारी
(14) रेशमी [illegible]
(15) नीरा बरला
(16) टे०नि० [illegible]समरीत देवी
(17) टे०नि० [illegible]दिली देवी
(18) टे०नि० [illegible]सुमेर देवी
(19) टे०नि० पचेला देवी
(20) टे०नि० करमी देवी
(21) टे०नि० पेंगो देवी

करमी धनवार

पुनिया धनवार

शकुन्तला देवी

रंजीता देवी

सुशीला देवी

रतनी देवी

राजेन सोरेंग

नुनी कुमारी

भगरी इन्दवार

[illegible] देवी

पेरी इन्दवार

रतवारी देवी

सुरमनी देवी

जुगनी देवी

ननकी देवी

बधनी देवी

38) आशा देवी
39) गौन्दो पहान
40) उर्मिला साहु
41) मूली साहु
(42) मोजु गोप
(43) रेशु साहु
(44) ओदरी खड़िया
(45) ओलो खड़िया
46 महर साहु
47 राजकुमार साहु
48 फागु खड़िया
49
50
(51) मुखलू प्रधान
(52) प्रतिमा प्रधान
(53) रुपा धनवार
(54) बान्धा खड़िया

(7)

...दुरा प्रधान

...रन साहु

सरिता रन्दिया

) रामजीत प्रधान

) अनिल बरला

फागु पहान

सुनील इन्दवार

) मनोज इन्दवार

) गणेश साहु

शशील साहु

...या प्रधान

...गोप

माया प्रधान

) अंजू प्रधान

गीता गोप

Mongean Sahu

लच्छु साहु

परन्तो साहु

कुल

(1) ...

(2) पुलि...

(3) आता

(4) आता

[signature] 13/9/12

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

LWT1060226

निर्वाचक का नाम : [illegible]
Elector's Name : [illegible]ram Pahan

पिता का नाम : [illegible]
Father's Name : Bhodo Pahan

लिंग / Sex : पुरुष / Male

1.1.2008 को आयु
Age as on 1.1.2008 : 25

पता :

LWT1060226

म.सं.	68
गली/मो0	बनई,
पो0	बनई थाना-बसिया
जिला/पिन	गुमला 835229

Address :

H.No.	68
Street/Mohalla	Banai,
Post Office	Banai P.s.-basia
District/Pin	Gumla 835229

Date : [illegible]

69 – [illegible] निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer
for 67 - [illegible] Assembly Constituency

[illegible]
In case of change in address, mention the card No. in the relevant form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

[illegible]0284

भारत सरकार

आधार

[illegible]

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 1218/33123/18918

10/10/2013

To
विश्राम पाहन
Vishram Pahan
S/O: Bhodo Pahan
VILL-BANAI,PS-BASIA
Banai
Banai
Basia Gumla
Jharkhand 835229

72455000

MN724550001FT

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

7742 0269 7735

आधार - आम आदमी का अधिकार

[redacted]

विश्राम पाहन
Vishram Pahan
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1983
पुरुष / Male

7742 0269 7735

आधार - आम आदमी का अधिकार

spl-GR no. 858/10

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 122
आ० ह० प्रपत्र सं० 32

अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट
(FINAL FORM/REPORT)

3568655

(दण्ड प्र० संहिता की धारा 173/174 के अधीन)

Spl. GR 858/10 ....के न्यायालय में (In the court of)

1. *जिला (Distt.) गुमला *थाना (P.S.) कामडारा *वर्ष (Year) 2012 *प्राथमिकी सं० (FIR No.) 36/10 *तिथि (Date) 19.10.10
2. *अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र सं० (Final Report/Charge Sheet No.) 52/12 3. *तारीख (DATED) 30.10.12
4. [1] *अधिनियम (Act) भा० द० वि० *धाराएं (Sections) 302/34
   [2] *अधिनियम (Act) .... *धाराएं (Sections) ..
   [3] *अधिनियम (Act) .... *धाराएं (Sections) ..
   [4] *अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts & Sections) ....
5. *अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार :—आरोप पत्र/साक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र नहीं दिया गया/अंतिम रिपोर्ट सत्य-पता नहीं चला/अंतिम रिपोर्ट सत्य-खोज नहीं हो सकी/अंतिम रिपोर्ट सत्य अपराध उपसांसित किया गया/अंतिम रिपोर्ट-नहीं घटित हुई।
   (Type of Final Form/Report :—Charge Sheet/Not Charge Sheeted for want of evidence/FRT Undetected/FRT Untraced/FRT offence abated/FR Unoccured)
6. *यदि अ० रि० अघटित हो :—मिथ्या/तथ्यों की भूल/विधि की भूल/असंज्ञेय/दीवानी प्रकृति का
   (If F. R. Unoccured : False/Mistake of Fact/Mistake of law/non-cognizable/Civil Nature.)
7. *यदि आरोप पत्र हो तो मूल/अनुपूरक
   (If Charge-sheet-Original/Supplementary)
8. *अनुसंधान पदाधिकारी का नाम (Name of I. O.) कमलेश पासवान, धर्मनाथ ठाकुर, अर्जुन पुसा पदनाम (Rank) पु० अ० नि० ,, ,, सं० (No.) ....
9. [क] परिवादी/सूचनादाता का नाम ....
   [ख] पिता का/पति का नाम ....
10. अनुसंधान के दौरान बरामद/जप्त ऐसी संपत्तियों/वस्तुओं/दस्तावेजों का विवरण जिन पर निर्भर किया गया हो। यदि आवश्यक हो तो अलग से सूची संलग्न की जा सकती है।

क्रम सं०	सम्पत्ति का वर्णन	प्राक्कलित मूल्य (रूपये में)	थाना का संपति रजिस्टर सं०	किससे/कहां बरामद या जप्त की गयी	निपटाव
1	2	3	4	5	6
	—	—	—	—	—

SPL 98-99

11. आरोप पत्रित अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लायें)

(Particulars of accused persons charge-sheeted)

(i) *नाम (Name) अमित मुण्डा उर्फ पारस कारको उर्फ अमित कारको सत्यापित है या नहीं

(ii) पिता/पति का नाम स्व० सामोन कारको

(iii) जन्म तिथि/वर्ष

(iv) लिंग पुरुष (v) राष्ट्रीयता भारतीय

(vi) पारपत्र सं० x निर्गम तिथि —

निर्गम स्थान x

(vii) धर्म (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।

(ix) पेशा (x) पता [illegible]

सत्यापित है या नहीं [illegible]

(xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)

(xii) *नियमित अपराधि सं० (यदि ज्ञात हो) Regular Criminal No. (if known)

(xiii) *गिरफ्तारी की तिथि

(xiv) *जमानत पर रिहा होने की तिथि (Date of release on bail) फरार

(xv) *न्यायालय में अग्रसारण की तिथि (Date on which forwared to Court)

(xvi) *किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections) 302/34 भा० द० वि०

(xvii) *जमानतदारों/प्रतिभूतिदाताओं का नाम और पता

[Name(s) of bailers/Sureties and address(es)]

(xviii) केस निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि

(xix) अभियुक्त को परिस्थिति (Status of the accused)

अग्रसारित/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उद्घोषित अपराधी (Forwarded/Bailed by Police/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender)

12. ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां जो आरोप पत्रित नहीं (संदिग्ध) है। (हरेक संदिग्ध व्यक्ति के लिए अलग से पन्ना व्यवहार में लायें)

(Particulars of accused Persons not charge sheeted (separate sheet for each suspect.)

क्रम सं०

(i) *नाम (Name) सत्यापित है या नहीं

(ii) पिता/पति का नाम

(iii) जन्म तिथि/वर्ष

(iv) लिंग (v) राष्ट्रीयता

(vi) पारपत्र सं० निर्गम तिथि निर्गम स्थान

(vii) धर्म (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।

(ix) पेशा (xi) पता

सत्यापित है या नहीं

(xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)

(xii) *संदेह अनुमोदित (Suspicion Approved) (हाँ/नहीं) (Yes/No)

(xiii) *अभियुक्त [संदिग्ध व्यक्ति] का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/गिरफ्तार नहीं किया जा सका। (Status of the accused Suspect)(Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/ Not arrested)

(xiv) किन अधिनियमों और धाराओं के अधीन

(xv) आरोप-पत्रित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अभ्युक्ति

31/2/13

अ
अ

काण्ड का सारांश यह है कि यह काण्ड वादिनी एलिजाबेथ पति स्व० अनिमा सुरीन सा० सुरुङ पाहन टोली थाना कामडारा जिला-गुमला के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध अंकित कराया गया है।

काण्ड के अनुसंधान, घटना स्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयान, मृतक के P.M रिपोर्ट, पर्यवेक्षण
रिपोर्ट से यह काण्ड सत्य पाया गया था। अनुसंधान के क्रम में मृतक के मोबाईल का CDR 1.
निकाला गया एवं अवलोकन करने पर सम्बन्धित मोबाईल से मृतक के मोबाईल पर बातचीत किया 2
गया मोबाईल धारक विनोद सुरीन पे० मोहन सुरीन सा० सिम्बी थाना-कामडारा जिला गुमला 4
पाया गया। जिसे गिरफ्तार किया गया तथा जिसने स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना को कारित करने की बात
स्वीकार किया गया। इस काण्ड में अभि० विक्रम खड़िया उर्फ विक्रान्त खड़िया 2. अमित मुण्डा उर्फ चोंगा
कारका उर्फ अमित कारका के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुये अभि० विनोद सुरीन उर्फ चीना 5
पे० मोहन सुरीन सा० सिम्बी थाना-कामडारा जिला-गुमला के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 17/12 दि० 26.12 U/S.
302/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत समर्पित किया गया है। 6

काण्ड का अनुसंधान प्रायः सभी बिन्दुओं पर पूर्ण ही अनु० पु० पदा० बाखला के प्राप्त आदेश 7
प्रगति प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला के आदेश के प्रत्याशा में इस
काण्ड में विश्राम खड़िया (फरार) पे० मोती खड़िया (फरार) सा० बनई पाहनटोली था० बसिया 8
जिला गुमला को अभियुक्त बनाया गया एवं अभि० राजा खड़िया उर्फ विक्रम खड़िया उर्फ विक्रान्त
खड़िया पे० रूपा खड़िया सा० बनई पाहनटोली थाना-बसिया जिला-गुमला मे प्रस्तुत दिखाये
हुये तथा अभि० अमित मुण्डा उर्फ चोंगा कारका उर्फ अमित कारका पे० बेनामीन कारका
सा० कुधनी टोली थाना-कांके जिला रांची को फरार दिखाते हुये काण्ड धारा 302/
34 भा०द०वि० के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जाता है। काण्ड का
पूरक अनुसंधान व डायरी को बन्द किया।

17. [illegible] मिल की गयी नोटिस का निर्देश करें ..... हाँ/नहीं ..... तारीख.....
(पावती लगाई जाएगी)

18. प्रेषण तिथि.....

स्टेशन हाउस पदाधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित।

नाम.....

पदनाम..... सं०.....

अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करनेवाले अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

नाम..... अर्जुन पुरती

पदनाम..... पु०अ०नि० ..... सं०.....

कामडारा थाना

30/10/12

30/10/12

[illegible] प्रतिलिपि [illegible]
31/2/13
प्रधान लिपिक
[illegible] न्यायालय
गुमला

Rs 14 = [illegible] (Rupees Fourteen and Paise Twenty only)

Photocopy
[illegible]
31/2/13

Verified by
[illegible]
21-02-13

16 13, 20 13, 20 13, 21 13, 21 13

13. उन साक्षियों की विशिष्टियां जिनकी परीक्षा की जाएगी।

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/वर्ष	पेशा	पता	दिए जानेवाले साक्ष्य का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	पूर्व में (समर्पित) आरोप पत्र संख्या 17/12 के अनुसार गवाह					

14. यदि सूचना/आरोप मिथ्या हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 182/2111 के अधीन की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करें।

....

....

15. प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम..

....

16. *केस से संबंधित संक्षिप्त तथ्य [यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगयें।
(Brief Facts of the Case) [Add separate Sheet if necessary]

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Spt GR no. 337/11
Kamdara P.S. no. 18/11
U/S 147, 148, 149, 353 and 307 IPC and 25(1-b) a/26/27/35 Arms Act
State
Vs
Bishram Kharia

Schedule XLII—High Court (J) 9a [Old (M) 164.]

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court. **G.R.No.337/11**	Office notice taken with date.
1	2	3	4
	21/11/12	*The Final Form No. 53/12 dtd. 30.10.12 has been submitted by the police against accused Bishram Kharia and Raja Kharia showing him dead and keeping investigation pending against Niral Kindo and Chaitu Gope. So Office Clerk is directed to open a Split up record for the accused Niral Kindo and Chaitu Gope against whom the investigation are pending. Put up on 05.12.12 for split up record.* *Since, the police has submitted the final report against accused Bishram Kharia so release him at once.* *(Dictated)* *S.D.J.M.,Gumla.*	R/O 21-11-12
	Photo by 20/2/13	Verified by 20-02-13	

16.02.13, 20.02.13, 20.02.13, 20.02.13, 21.02.13

Rs 10/ Rupees Ten only

[illegible]

[illegible]

30/2/13

In the court of C.J.M. Gumla
Spl GR no 337/11

दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE

अनुसूची 43, प्रपत्र सं० 122
आ० ह० प्रपत्र सं० 32 पृष्ठ

अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट
(FINAL FORM/REPORT)

(दण्ड प्र० संहिता की धारा 173/174 के अधीन)

....के न्यायालय में

(In the court of)

3568656 Seen
ACJM
14.11.12

1. *जिला गुमला (Distt.) *थाना कामडारा (P.S.) *वर्ष 2012 (Year) *प्राथमिकी सं० 18/11 (FIR No.) *तिथि 15.4.11 (Date)
2. *अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र सं० 53/12 (Final Report/Charge Sheet No.)
3. *तारीख 30.10.12 (DATED)
4. [1] *अधिनियम (Act) भा० द० वि० *धाराएं (Sections) 147/148/149/353/
   [2] *अधिनियम (Act)..................... *धाराएं (Sections) 307
   [3] *अधिनियम (Act)..................... *धाराएं (Sections)
   [4] *अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts & Sections) 25(1-b)a/26/27/35
5. *अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार :—आरोप पत्र/साक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र नहीं दिया गया/अंतिम रिपोर्ट सत्य-पता नहीं चला/अंतिम रिपोर्ट सत्य-खोज नहीं हो सकी/अंतिम रिपोर्ट सत्य अपराध उपसांसित किया गया/अंतिम रिपोर्ट-नहीं घटित हुई।
   (Type of Final Form/Report :—Charge Sheet/Not Charge Sheeted for want of evidence/FRT Undetected/FRT Untraced/FRT offence abated/FR Unoccured)
6. *यदि अं० रि० अघटित हो :—मिथ्या/तथ्यों की भूल/विधि की भूल/असंज्ञेय/दीवानी प्रकृति का
   (If F.R. Unoccured : False/Mistake of Fact/Mistake of law/non-cognizable/Civil Nature.)
7. *यदि आरोप पत्र हों तो मूल/अनुपूरक
   (If Charge-sheet-Original/Supplementary)
8. *अनुसंधान पदाधिकारी का नाम एस० मुर्मू पदनाम पु०अ०नि० सं०..................
   (Name of I. O.) रतनेश्वर दास (Rank) " " " (No.)
   अर्जुन केरकेट्टा " " "
9. [क] परिवादी/सूचनादाता का नाम कमलेश पासवान
   [ख] पिता का/पति का नाम थाना प्रभारी - कामडारा थाना, जिला गुमला
10. अनुसंधान के दौरान बरामद/जप्त ऐसी संपत्तियों/वस्तुओं/दस्तावेजों का विवरण जिन पर निर्भर किया गया हो। यदि आवश्यक हो तो अलगसे सूची संलग्न की जा सकती है।

क्रम सं०	सम्पत्ति का वर्णन	प्राक्कलित मूल्य (रूपये में)	थाना का संपति रजिस्टर सं०	किससे/कहां बरामद या जप्त की गयी	निपटाव
1	2	3	4	5	6
	जप्ती सूची के अनुसार जप्त प्रदर्श				

11. आरोप पत्रित अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लायें)

(Particulars of accused persons charge-sheeted)

(i) *नाम (Name)..सत्यापित है या नहीं....................................

(ii) पिता/पति का नाम..

(iii) जन्म तिथि/वर्ष..

(iv) लिंग.. (v) राष्ट्रीयता...

(vi) पारपत्र सं०.. निर्गम तिथि...

निर्गम स्थान..

(vii) धर्म.. (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।

(ix) पेशा.. (x) पता...

....सत्यापित है या नहीं...

(xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)

(xii) *नियमित अपराधि सं० (यदि ज्ञात हो) Regular Criminal No. (if known)

(xiii) *गिरफ्तारी की तिथि..

(xiv) *जमानत पर रिहा होने की तिथि (Date of release on bail)...

(xv) *न्यायालय में अग्रसारण की तिथि (Date on which forwared to Court)..................................

(xvi) *किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections)..

(xvii) *जमानतदारों/प्रतिभूतिदाताओं का नाम और पता..

[Name(s) of bailers/Sureties and address(es)]...

(xviii) केस निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि..

(xix) अभियुक्त की परिस्थिति (Status of the accused)

अग्रसारित/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उद्घोषित अपराधी (Forwarded/Bailed by Police/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender)

12. ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां जो आरोप पत्रित नहीं (संदिग्ध) है। (हरेक संदिग्ध व्यक्ति के लिए अलग से पन्ना व्यवहार में लायें)

(Particulars of accused Persons not charge sheeted (separate sheet for each suspect.)

क्रम सं०

(i) *नाम (Name)..सत्यापित है या नहीं....................................

(ii) पिता/पति का नाम..

(iii) जन्म तिथि/वर्ष..

(iv) लिंग.. (v) राष्ट्रीयता...

(vi) पारपत्र सं०.................................. निर्गम तिथि.......................... निर्गम स्थान..........................

(vii) धर्म.. (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।

(ix) पेशा.. (xi) पता...

....सत्यापित है या नहीं.......................................

(xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)..

(xii) *संदेह अनुमोदित (Suspicion Approved) (हाँ/नहीं) (Yes/No)..

(xiii) *अभियुक्त [संदिग्ध व्यक्ति] का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/गिरफ्तार नहीं किया जा सका।(Status of the accused Suspect)(Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/Not arrested)...

(xiv) किन अधिनियमों और धाराओं के अधीन...

(xv) आरोप-पत्रित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अभ्युक्ति...

....

....

13_ 13_ 13_ 13

Seen
SDJM
14.11.12

2 रु. COURT FEE भारत दो रुपये TWO RUP

13. उन साक्षियों की विशिष्टियां जिनकी परीक्षा की जाएगी।

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/वर्ष	पेशा	पता	दिए जानेवाले साक्ष्य का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	पूर्व में समर्पित किया गया आरोप पत्र क्र० - 28/11 dt 29.7.11 आरोप पत्र क्र० 27/12 dt 12.7.12 आरोप पत्र क्र० 36/12 dt 31.8.12 के अनुसार गवाह।					

14. यदि प्राथमिकी मिथ्या हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 182/2111 के अधीन की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करें।
....
....

गुमला

15. प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम..
....

16. *केस से संबंधित संक्षिप्त तथ्य [यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगयें।
(Brief Facts of the Case) [Add separate Sheet if necessary]

काण्ड का सारांश है कि यह काण्ड वादी पु०अ०नि० मकबूल पाण्डेय थाना प्र० चन्दवारा के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी के अभि० 1. विक्रम सिंह 2. मनराम सिंह सा० रुकमडा 3. किरन सिंह सा० उत्साईड 4. रजा खडिया 5. विक्रम खडिया दोनो सा० बनईयाकस्बोली 6. देवन सिंह मौसा वादिया 7. भरतदेव खडिया 8. भजन सिंह सा०कि०ता - नागपुर था - पाककोला चौक गोप 10. [illegible] सा०कि०ता - कोरवेली थाना - वजिदा 11. राकेश मुण्डा सा० कोटको कुरदोमी था - चन्दवारा जिला - गुमला एवं अन्य 5-6 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध नाजायज मजमा बनाकर घातक हथियार ले कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने तथा गाली एवं धमकी [illegible] होने के आरोप में दर्ज कराया गया है।

काण्ड का अनुसंधान, घटनास्थल का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, वादी के बयान अन्य प्रदर्श के अवलोकन, प्रतिवेदन-2 से यह काण्ड धारा- 147/148/149/353/307

20/2/13

Rs 14 = 22 (Rupees fourteen and Paise Twenty two only)

20/2/13

भा०द०वि० एवं 25(1-b)a/26/27/35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी के नामजद दो अभियुक्तों एवं अ०अ० 5-6 अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया। कांड के अनुसंधान के क्रम में इस कांड में 1. अभि० सोवना मुण्डा 2. विरकूं सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 28/11 दि० 29.7.11 को मूल धाराओं के अन्तर्गत तथा अभि० 3. मनरूप सिंह 4. दीमन सिंह 5. मनरंजन खड़िया 6. अजय सिंह के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र सं० 27/12 दि० 12.7.12 को मूल आरोपी धाराओं के अन्तर्गत तथा आरोप पत्र सं० 36/12 दि० 31.8.12 विरुद्ध प्रा०अभि० विरसा सिंह के मूल धाराओं के अन्तर्गत समर्पित किया जा चुका है तथा शेष के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है।

अतः इस कांड में अनुमण्डल पुलिस पदा० बसिया के प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन, पुलिस अधीक्षक गुमला के आदेश के प्रत्याशा में प्राथमिकी अभि० 1. विरसा किण्डो पे० बलासियुस किण्डो 2. चैतु गोप पे० मधु गोप दोनों सा० किता-कोनबेकेला थाना-बसिया जिला-गुमला के विरुद्ध एवं अन्य निर्देशित बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी रखते हुये तथा राजा खड़िया उर्फ विक्रम खड़िया उर्फ विक्रांत खड़िया पे० कुपा खड़िया सा- बनई जाकर टोली थाना-बसिया जिला-गुमला को फरार दिखाते हुये एवं विश्वनाथ खड़िया (पाहन) पे० मोती खड़िया (पाहन) सा० बनई चारे टोली थाना-बसिया जिला-गुमला पर अभियुक्तीकरण असत्य दिखाते हुये अंतिम प्रतिवेदन सं० 53/12 दि० 30.10.12 धारा-147/148/149/353/307 भा०द०वि० एवं 25(1-b)a/26/27/35-आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत समर्पित किया जाता है आगे पूरक अनुसंधान जारी है।

17. तामिल की गयी नोटिस का निर्देश करें (पावती लगाई जाएगी) 30/10/12 — हाँ/नहीं.......... तारीख..........

30/10/12

18. प्रेषण तिथि..........

स्टेशन हाउस पदाधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित।

नाम..........

पदनाम.......... सं०..........

अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करनेवाले अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

नाम (अर्जुन गुप्ता)

पदनाम पु० अ० नि० सं०..........

Photocopy 20/2/13

Verified by 20-02-13

प्रभारी लिपिक

(गुमला)

In the Court of S.D.J.M. Gumla
Spt G.R. no 506/11
Basia P.S. no 30/11
U/S 414 I.P.C and 25(1-B)a,26,35 Arms Act

781 SDJM

Schedule XLII—High Court (J) 9a [Old (M) 164.]

State
Vrs
Biren Singh @ Balkeshwar

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court. Spt. G.R.No.506/11	Office action taken with date.
1	2	3	4
	21.11.12	*The supplementary charge sheet No.97/12 dated 30.10.12 has been submitted against the accused Biren Singh @ Balkeshwar (Absconder) under Section 414 of the I.P.C and 25 (1-b)A,26,35 of the Arms Act, showing Raja Kharia @ Vikram Kharia dead and final form against accused Bishram Kharia son of Bhodo Kharia.* *I have perused the entire record, charge sheet and found that a prima facie case made out under Section 414 of the I.P.C and 25 (1-b)A,26,35 of the Arms Act, only against accused Biren Singh @ Balkeshwar. Since the cognizance has already been taken in the case against so kept the record in my personal file for commitment. Put up on 05.12.12 ~~for police paper~~ appearance of P.P. for Biren Singh @ Balkeshwar.* *Since in the final form has been submitted against Bishram Kharia showing no evidence against him so issue release order against Bishram Kharia at once.* *(Dictated)* S.D.J.M, Gumla	Issued R/O of Bishram Kharia 21-11-12

16-02-13, 20-02-13, 20-02-13, 21-02-13, 21-02-13

Verified by 21/2/13

21/2/13

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
21/2/13
प्रधान लिपिक
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(गुमला)

RA10260 (Fifteen) only

[illegible]

[illegible]

21/2/13

In the court of S.D.J.M. Gumla
Spt GR no. 506/11

96
कांड

सूची 47, प्रपत्र 122
ह० प्रपत्र सं० 32 Spt. GR 506/11

अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट
(FINAL FORM/REPORT)

JH 483989

(दण्ड प्र० संहिता की धारा 173/174 के अधीन)

अनुमंडल न्यायिक दण्डा० गुमला न्यायालय में
(In the court of)

1. *जिला गुमला *थाना बसिया *वर्ष 2012 *प्राथमिकी सं० 50/11 *तिथि 6.6.11
(Distt.) (P.S.) 97 (Year) (F.I.R. No.) (Date)
2. *अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र सं० 58/12 3. *तारिख 30.10.12
(Final Report/Charge Sheet No.) (Dated)
4. [1] *अधिनियम (Act) भा० द० वि० *धाराएं (Sections) 414
[2] *अधिनियम (Act) आर्म्स एक्ट *धाराएं (Sections) 25(1-B)a, 26, 35
[3] *अधिनियम (Act) x *धाराएं (Sections) x
[4] *अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts and Sections) x
5. *अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार :—आरोप पत्र/साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र नहीं दिया गया/अंतिम रिपोर्ट सत्य-पता नहीं चला/अंतिम रिपोर्ट सत्य-खोज नहीं हो सकी/अंतिम रिपोर्ट सत्य अपराध उपशमित किया गया/अंतिम रिपोर्ट नहीं घटित हुई।
(Type of Final Form/Report :—Charge Sheet/Not Charge Sheeted for want of evidence/FRT Undetected/FRT Untraced/FRT offence abated/FR Unoccurred.) आरोप पत्र
6. ... असंज्ञेय/सिविल प्रकृति का ...
(... Non-cognizable/Civil Nature.)
7. *यदि आरोप पत्र हो तो मूल/अनुपूरक मूल
(If Charge Sheet—Original/Supplementary) cp
8. *अनुसंधान पदाधिकारी का नाम (1) ... (2) वीरेन्द्र कुमार पाठक पदनाम पु० अ० नि० सं०
(Name of I.O.) (Rank) (No.)
9. [क] परिवादी/सूचनादाता का नाम [illegible]
[ख] पिता का/पति का नाम थाना प्रभारी बसिया थाना जिला- गुमला
10. अनुसंधान के दौरान बरामद/जप्त ऐसी सम्पत्तियों/वस्तुओं/दस्तावेजों का विवरण जिन पर निर्भर किया गया हो। यदि आवश्यक हो तो अलगसे सूची संलग्न की जा सकती है।

क्रम सं०	सम्पत्ति का वर्णन	प्राकलित मूल्य (रूपये में)	थाना का सम्पत्ति रजिस्टर सं०	किससे/कहा बरामद या जप्त की गयी	निपटाव
1	2	3	4	5	6
	जप्ती सूची के अनुसार				

(Seal: थाना प्रभारी बसिया, गुमला)

11. आरोप पत्रित अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पत्रा उपयोग में लायें)
(Particulars of accused persons charge-sheeted)

(i) *नाम (Name) बिरज सिंह उर्फ बालकिशुनर सिंह सत्यापित है या नहीं नहीं
(ii) पिता/पति का नाम पिता नाथूवर सिंह सा॰ उरुवडीह थाना बसिया जिला गुमला
(iii) जन्म तिथि/वर्ष
(iv) लिंग पुरुष (v) राष्ट्रीयता भारतीय
(vi) पारपत्र सं॰ निर्गम तिथि
निर्गम स्थान
(vii) धर्म हिन्दू (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।
(ix) पेशा अपराध कर्मी (x) पता
सत्यापित है या नहीं नहीं
(xi) *औपबंधिक अपराधी सं॰ (Provisional Criminal No.)
(xii) *नियमित अपराधी सं॰ (यदि ज्ञात हो) [Regular Criminal No. (if known)]
(xiii) *गिरफ्तारी की तिथि (Date of arrest) x
(xiv) *जमानत पर रिहा होने की तिथि (Date of release on bail) 10.07.12
(xv) *न्यायालय में अग्रसारण की तिथि (Date on which forwarded to Court) x
(xvi) *किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections) 414/310/401/90 भा॰द॰वि॰ 25(1-B)a/35, 26/35 आर्म्स एक्ट
(xvii) *जमानतदारों/प्रतिभूतिदाताओं का नाम और पता x
[Name(s) of Bailers/Sureties and address(es)]
(xviii) केस निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि
(xix) अभियुक्त की परिस्थिति (Status of the accused)
अग्रसारित/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उद्घोषित अपराधी
(Forwarded/Bailed by Police/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender)

12. ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टताएं जो आरोप पत्रित नहीं (संदिग्ध) हैं (हरेक संदिग्ध व्यक्ति के लिए अलग से पत्रा व्यवहार में लायें)।
[Particulars of accused persons not charge-sheeted. (Separate sheet for each suspect.)]
क्रम सं॰

(i) *नाम (Name) सत्यापित है या नहीं
(ii) पिता/पति का नाम
(iii) जन्म तिथि/वर्ष
(iv) लिंग (v) राष्ट्रीयता
(vi) पारपत्र सं॰ निर्गम तिथि निर्गम स्थान
(vii) धर्म (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।
(ix) पेशा (x) पता
सत्यापित है या नहीं
(xi) *औपबंधिक अपराधी सं॰ (Provisional Criminal No.)
(xii) *संदेह अनुमोदित (Suspicion Approved) (हाँ/नहीं) (Yes/No)
(xiii) *अभियुक्त [संदिग्ध व्यक्ति] का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/गिरफ्तार नहीं किया जा सका। (Status of the accused Suspect: Bailed by Police/Bailed by Court/In Judicial Custody/Not arrested)
(xiv) किन अधिनियमों और धाराओं के अधीन
(xv) आरोप पत्रित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अभ्युक्ति

प्रतिलिपि विभाग गुमला

1800
Mc S.D.J.M.
12.11.12

13. उन साक्षियों की विशिष्टियां जिनकी परीक्षा की जाएगी।

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/वर्ष	पेशा	पता	दिए जानेवाले साक्ष्य का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	साक्षियों का नाम की पंजी पृष्ठ में किया जा चुका है।					

14. यदि प्राथमिकी मिथ्या हो तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182/211 के अधीन की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का कथन करें।

....

....

15. प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम ....

....

16. *केस से संबंधित संक्षिप्त तथ्य [यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें।]
Brief Facts of the Case [Add separate sheet if necessary.]

....

प्रदर्शित है।

....

....

16-2-13, 20-2-13, 20-3-13, 21-3-13, 31-3-13

f 781

RD 10200 (Nineteen Two Thousand) 0024

प्रतिलिपिकार हस्ताक्षर

तुलना [illegible]

सत्यापित प्रतिलिपि 31/7/2013

(4)

अनुस

पु०

यह काण्ड वादी विष्णुदेव राम साकिन ग्राम कोहड़िया जिला कैमूर भभुआ बिहार वर्तमान थाना प्रभारी कलियागंज जिला-गुमला के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त [illegible] केदार सिंह पि० मुकुन्द सिंह [illegible] राजकुमार सिंह पि० रघुनाथ सिंह 4. [illegible] पि० [illegible] सा० [illegible] कोनेया [illegible] सा० [illegible] 1.

वेदिया पि० [illegible] 7. सोहरा [illegible] सा० [illegible] 8. [illegible] सा० डहुटोली [illegible] आलम सिंह सा० [illegible] 2.

10. विरेन्द्र सिंह सा० [illegible] तीन-चार अज्ञात के विरुद्ध अज्ञात गोप सा० [illegible] थाना [illegible] हाथ पकड़ जाने तथा [illegible] के 4.

अश्लीलता एवं [illegible] मारा जाने के आरोप में अंकित किया गया है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, बसिया के साथ प्रगति प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला के आदेश के क्रमानुसार 5.

[illegible] ग्राम [illegible] सा० कोनस टोली 2. [illegible] गोप पि० [illegible] गोप सा० कोनस टोली [illegible] बसिया [illegible] पिता [illegible] मुण्डा सा० डहुटोली [illegible] एवं [illegible] के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए 6.

सा० [illegible] आरोपित गुमला के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी (वेदिया (बहन)

इस काण्ड में विक्रम वेदिया उर्फ [illegible] वेदिया (बाहन) 7.

पि० [illegible] थाना बसिया जिला गुमला [illegible] वेदिया उर्फ [illegible] 8.

[illegible] टोली थाना बसिया जिला गुमला [illegible] सिंह उर्फ [illegible]

[illegible] थाना [illegible] जिला-गुमला के विरुद्ध 9.

सिंह पि० [illegible] 26, 35 [illegible] अधिनियम के

धारा 414 [illegible] 25(1-b) a/26, 35 [illegible] दिनांक 30.10.12 समर्पित किया 10.

अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या-38/12 दिनांक 30.10.12 समर्पित किया जा रहा है।

है ताकि माननीय न्यायालय द्वारा विचारार्थ लिया जा सके।

क्रम

[illegible] पुलिस [illegible]

मुलजिम को गवाह नोटिस का निर्देश करें (जमानती लगाई जाएगी)

हाँ/नहीं............ तारीख 30/10/12 पु०अ०नि०

प्रेषण तिथि ....

स्टेशन हाउस पदाधिकारी थाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित।

नाम [illegible] पु०अ०नि०

पदनाम .... सं०

बसिया थाना जिला गुमला 30/10/12

अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करनेवाले अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

नाम वीरेन्द्र कुमार पाठक 30/10/12

पदनाम पु०अ०नि० सं०

थाना बसिया जिला गुमला

24/02-03

13-22 (Thirteen Twenty Two) 8 (Eight) [illegible] 31/7/2013

प्रतिलिपि अभिलेख प्रधान लिपिक

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गुमला)

Verified by 31/7/13

Photocopy [illegible]

SR 738/12

S.D.J.M.
14.9.12

| 47, प्रपत्र सं० 118

प्रपत्र सं० 26 (नियम 143)

संख्या JH 0365231

प्राथमिकी (F.I.R.)

(दं० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन)

*जिला गुमला *अनुमंडल गुमला *थाना बसिया *वर्ष 2012 *प्राथमिकी सं० 58/12 *तिथि 13.9.12
(Distt.) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

(I) *अधिनियम (Act) भा० द० वि० *धाराएँ (Sections) 147/149/353/307/114/333

(II) *अधिनियम (Act) × *धाराएँ (Sections) ×

(III) *अधिनियम (Act) × *धाराएँ (Sections) ×

(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections) ×

नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना तथा गम्भीर रूप से जख्मी करना

(क) *अपराध की घटना *दिन गुरुवार *तिथि से 13.9.12 *तिथि तक
(Occurrence of offence) (Day) (Date from) (Date to)

*समयावधि (पहर) तृतीय पहर *बजे से 8.30 *बजे तक 9.00
(Time period) (Time from) (Time to)

(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि 13.9.12 समय 9.00

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 13.9.12 समय 9.00

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ—प्रविष्टि सं० समय 9.00

सूचना का प्रकार (Type of information) लिखित/मौखिक (Written/Oral)

घटना स्थल—(क) थाना से दिशा एवं दूरी बसिया थाना सिरिस्ता, परिसर गश्त सं०

(ख) *पता (Address) बसिया थाना, जिला - गुमला

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम × जिला ×

परिवादी/सूचना दाता :

(क) नाम पु० अ० नि० गुलाम साहिद अंसारी

(ख) पिता/पति का नाम स्व० अब्दुल अंसारी

(ग) जन्म-तिथि 45 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता भारतीय

(ङ) पारपत्र सं० × निर्गम तिथि × निर्गम स्थान ×

(च) पेशा थाना प्रभारी बसिया नौकरी

(छ) पता ग्रा० + पो० + थाना- सिकोढ़ी, जिला पटना बिहार

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

(1) ओ०पी०सी० चैतू उरांव (2) ए.एस.आई. [illegible] (3) [illegible]
(4) देवा साहू पे० लादी साहू सा०- [illegible] (5) पंकज कुमार पे० निर्मल सिंह सा०- [illegible] (6) अरु
(7) अशोक साहू (8) गणेश साहू (9) रंपु साहू (10) [illegible] सभी पे० नामालूम
तथा 30-35 अज्ञात महिला सभी साकिन- [illegible] टोली, थाना- [illegible]
जिला - गुमला।

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :—

*लिंग (Sex)	*जन्म-तिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से० मी० में Height (in cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	स्थान				
	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जख्म चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

नाग

यदि परिवादी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टतायें दी जाएं तभी इन स्तंभे प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े तौयार किए जाएंगे।

Seen
S D J M
14.9.12

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण : ....

....

....

9. चुरायी गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियो के ब्यौरे (यदि आवश्यक हों तो अलग से पत्रा लगायें)

....

....

....

10. *चुराई गयी/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total value of properties stolen/involved/recovered) ......

....

11. *अस्वाभाविक मृत्यु कांड सं०, यदि हो तो (U. D. Case No., if any) ....

....

12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पत्रा लगायें, यदि आवश्यक हो)

मैं अधिक मार्ग आ निरीक्षण एवं सुरक्षा में सरकारी थाना प०न० पर पहुँचने लगा तो श्री चैतू
उरांव द्वारा महिलाओं तथा पुरुषों को उत्तेजित करने और तथा महिलाओं को
ट्रक के सामने खड़ा कर दिया गया, काफी समझाने-बुझाने पर भी सभी ने कुछ
इस पर किसी प्रकार महिला चौकीदार 5/ विमला देवी के सहयोग से आ०मि०-
[illegible] खड़िया तथा फोर्स के प०न० पर चढ़कर गुमला के लिए भेजा गया
इस क्रम बाद चैतू उरांव द्वारा सबों को बुलाकर कुछ बोला गया जिसे महिलायें
उत्तेजित होकर अपने-अपने हाथ में चप्पल लेकर थाना में पदस्थापित पदाधिकारियों
को गाली गलौज करने लगी हम लोग संयम से काम लेते रहे और समझाने का
कोशिश करते रहे तभी किसी ने स०अ०नि० रमाशंकर उपाध्याय के ऊपर पत्थर
फेंककर हमला किया गया जिससे उन्हें दाहिने आँख के पास तथा कुहनी पर चोट लगी और
वह जख्मी होकर बुरी तरह गिर गये उन्हें किसी तरह उठाया गया और चैतू उरांव
की मंशा समझ में आया कि वे आज जनता को भड़काकर थाना में आगजनी
तथा पुलिस पर जानलेवा हमला कराकर फायरिंग करवाने का कोशिश कर रहे हैं तथा
माहौल बिगड़ते देख वह अपने सफेद रंग के बोलेरो से भाग गये। इतना होने
के बाद भी हम लोग महिलाओं को समझाते रहे, कुछ देर के बाद महिलायें सड़क
पर चली गयी और निकोलस कुल्लू के कहने पर सड़क जाम करने लगी। जिसे देख
हमने उपरोक्त बातों की जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हुए पदाधिकारी एवं सशस्त्र
बल के साथ सड़क पर जाकर महिलाओं को समझाकर हटाया गया।
अतः सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, हमला करने, जख्मी करना, भीड़ को हमला करने हेतु उत्तेजित
करना धारा-147/149/353/307/114/332 भा०द०वि० के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है
अप्रा०(1) श्री चैतू उरांव (2) फादर ए० एस० टोप्पो (3) का०मु०मु०अध्यक्ष निकोलस
कुजूर (4) श्री साहु पे० लाल साहु सा० लोगा (5) पंकज कुमार पे० विमल साहु सा० [illegible] (6) [illegible]
साहु (7) गणेश साहु [illegible] साहु (10) मोका [illegible] तथा 30-35 अज्ञात [illegible]
[illegible]

Self Statment of S.I Ghulam Shahid Ansari Age about 45 years O.C Basia P.S Recorded by himself on dated 13.9.12 at 09:00 hrs at Basia P.S. (36)

17, प्रपत्र सं० 118 (4)

हमारा नाम पु०अ०नि० गुलाम शाहिद अंसारी थाना प्रभारी बसिया है। हम आज दि० 13.9.12 को समय 9:00 बजे बसिया थाना के प्रभारी स्वयं का ब्यान अंकित करता हूँ कि आज दि० 13.9.12 समय करीब आठ बजे प्रातः बसिया थाना पर जिला परिषद सदस्य श्री चैतू उरांव पंचायत समिति सदस्य श्रीमती ऐस. टोरी बनई पंचायत, पंकज कुमार पे० विमल सिंह, सा०- बसिया, देवा साहु पे० लाहरी साह सा०- लोंगा, निर्मेलन्दु कुल्लू, प्रखण्ड अध्यक्ष सा० नावाटोली कोनबीर, अरुण साहु, अशोक साहु, गणेश साहु, रेशू साहु, भौवा गोप सभी पिता नामालूम सा०- बनई चेरो टोली, थाना - बसिया, जिला- गुमला तथा करीब (30-35) अज्ञात महिला पुरुष आमी तथा कल दि० 12.9.12 को बसिया थाना काण्ड सं० 50/11 दि० 6.6.11, धारा-414 भा०द०वि० एवं 25(1-b)a/7-A/26/35 आर्म्स एक्ट (2) कामडारा थाना कांड सं० 36/10 दि० 13.10.10, धारा-302/34 भा०द०वि० (3) कामडारा थाना कांड सं० 18/11 दि० 15.4.11 धारा 147/148/149/353/307 भा०द०वि०, 25(1-b)a/26/27/35 आर्म्स एक्ट का प्राथमिकी अभि० बिरन खड़िया उर्फ विक्रम खड़िया उर्फ विश्राम खड़िया पे० भोदो खड़िया सा० बनई चेरो टोली, थाना बसिया जिला गुमला को गिरफ्तार कर लाये गये अभियुक्त के सम्बन्ध में निर्दोष होने का सफाई देने लगे जिस पर हमने बताया कि उपरोक्त तीनों कांड हम से पूर्व है एक बसिया तथा दो कामडारा थाना का है। तीनों कांडों में वरीय पदाधिकारी का पर्यवेक्षण प्राप्त है तथा माननीय न्यायालय से कुर्की आदेश भी निर्गत की जा चुकी है इस स्थिति में थाना स्तर से कोई मदद नहीं कि जा सकती है आप लोग हमारे वरीय पदाधिकारी से मिले और अपना पक्ष रखें। इस पर श्री चैतू उरांव ने दबाव डालकर बोलने लगे कि चैतू उरांव बोल रहा है कि विश्राम खड़िया को हम लोगों के हवाले कर दिजीए इस पर हमने बोला कि यह हमारे अधिकार का बात नहीं है जो भी होगा माननीय न्यायालय से ही होगा, माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं आप न्यायालय से निवेदन कर लें, समय 8.30 बजे स्थानीय चौ० 6/2 समीर ओ० तथा 4/4 चैतन लोहरा साथ सशस्त्र बल के साथ अभि० बिरन खड़िया उर्फ विक्रम खड़िया उर्फ विश्राम खड़िया को माननीय न्यायालय

गयी कार्रवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कांड किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया* श्री रेन्दु कु० पाठक पदनाम पु०अ०नि० का संधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/आधिकारिता के प्रश्न पर बसिया थाना
ा को अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर कार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2, registered the case and took up the investigation/ ected*..............Rank..............to take up the investigation.)

ादी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

ा से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय—

थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) गुलाम शाहिद अंसारी पु०अ०नि०

पदनाम (Designation) थाना प्रभारी बसिया थाना

04-05